आदेश पत्रक

न्यायलयः उपजिलाधिकारी
मण्डल अयोध्या जनपदः अम्बेडकरनगर तहसीलः आलापुर
वाद संख्याः— 01175/2021
कंप्यूटरीकृत वाद संख्याः— T 202104040401175
प्रमोद कुमार पुत्र त्रिभुवन दत्त द्वारा प्रबन्धक टी0डी0 कॉलेज ऑफ फार्मेसी कसदहाँ, बनाम ग्राम पंचायत
अंतर्गत धाराः— 80, अधिनियमः— उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता—2006

मौजा—कसदहाँ परगना—बिड़हर

निर्णय

प्रस्तुत वाद/प्रार्थना पत्र त्रिभुवन दत्त पुत्र स्व0 राम अवध द्वारा प्रबन्धक टी0डी0 कॉलेज ऑफ फार्मेसी कसदहाँ, परगना बिड़हर तहसील आलापुर जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा खतौनी सन् 1426 ता 143 फसली खाता संख्या 0224, 0225, 0226, 0151 के गाटा संख्या 216, 217, 220, 229/0.8315हे0 स्थित ग्राम कसदहाँ परगना बिड़हर तहसील आलापुर जिला अम्बेडकरनगर के बावत प्रस्तुत किया गया है, जिसमें कहा गया है कि भूमि उपरोक्त में टी0डी0 कॉलेज ऑफ फार्मेसी संचालित है। पठन—पाठन का कार्य सुचारू रूप से किया जा रहा है। भूमि भवन का कोई विवाद नहीं है। जमीन हर किस्म से साख—पाख व बन्धक मुक्त है तथा मौके पर पूर्ण रूपेण आकृषिक है। प्रार्थी उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 80 में आकृषिक दर्ज कराना चाहता है। स्थलीय जांच कराकर भूमि उपरोक्त को आकृषिक दर्ज किया जाय।

प्रार्थी/वादी के उक्त प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों की जांच तहसीलदार आलापुर से कराकर आख्या दिनांक—12.03.2021 प्राप्त किया गया, जो पत्रावली पर उपलब्ध है। तहसीलदार आलापुर द्वारा संस्तुति सहित राजस्व निरीक्षक व क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा प्रेषित आख्या क्रमांक दिनांक—12.03.2021 व 10.03.2021 में यह उल्लेख किया गया है कि ग्राम कसदहाँ परगना बिड़हर तहसील आलापुर जिला अम्बेडकरनगर की खतौन सन् 1426 ता 1431 फ0 खाता संख्या 0224, 0225, 0226, 0151 के गाटा संख्या 216, 217, 220, 229/0.8315हे0 पर आवेदक का ना दर्ज है। भूमि उपरोक्त हर किस्म से साक पाक बन्धक मुक्त है। ग्रामसभा सीलिंक पटटे की भूमि नहीं सम्पूर्ण रक्बा कॉलेज भवन से आच्छाादित है। पूर्णरूपेण आकृषिक है। कृषि कार्य से इतर दर्ज किये जाने हेतु रिपोर्ट संस्तुति सहित प्रेषित किया गया है।

उप जिलाधिकारी न्यायालय अम्बेडकर नगर

मेरे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं तहसीलदार आलापुर की आख्या दिनांक—12.03.2021 का परीक्षण किया गया, जिससे स्पष्ट है कि पत्रावली पर उपलब्ध उद्धरण खतौनी ग्राम कसदहाँ सन् 1426 ता 1431 फसली खाता संख्या 0224, 0225, 0226, 0151 के गाटा संख्या 216, 217, 220, 229/0.8315हे0 पर प्रमोद कुमार पुत्र त्रिभुवन दत्त प्रबन्धक टी0डी0 कॉलेज ऑफ फार्मेसी कसदहाँ, परगना बिड़हर तहसील आलापुर जनपद अम्बेडकरनगर के नाम संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है जिसमें प्रार्थी द्वारा उक्त गाटे के रक्बा 0.831 हे0 पर कॉलेज भवन बनाकर व्यवसायिक रूप में प्रयोग किया जा रहा है। उक्त गाटे के रक्बा 0.831 भूमि कृषि कार्य नहीं हो रहा है। बल्कि व्यवसायिक रूप में प्रयोग हो रहा है। उक्त भूमि एकल खतौनी है। व्यवसायिक होने के कारण कलेक्टर महोदय अम्बेडकरनगर की निर्धारित दर के अनुसार कृषि का मूल्यांकन 0.831हे0 x 7680000रू0 प्रति हे0 की दर से मलियत 3840000रू0 होता है। जिसका 1 प्रतिशत की दर से शुल्क रूपया 38040(अड़तीस हजार चालीस) घोषण शुल्क होता है। ट्रेजरी चालान संख्या 2 दिनांक 19.03.2021 की प्रति व 1 प्रतिशत कोर्ट फीस रूपया 38040(अड़तीस

Scanned with AnyScanner

हजार चालीस) ट्रेजरी चालान संख्या 1 दिनांक 19.03.2021 की प्रति बैंक ऑफ बड़ौदा रामनगर में जमा दाखिल किया गया है। इस प्रकार वादी द्वारा उक्त भूमि व्यवसायिक रूप में प्रयोग किये जाने के कारण उपरिवर्णित धनराशि अदा किया जा चुका है, जिसको आकृषिक भूमि घोषित/दर्ज किया जाना उचित पाया जाता है। तद्नुसार वादी द्वारा प्रस्तुत वाद/प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80 उ0प्र0रा0 सहिता 2006 स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर ग्राम कसदहाँ परगना बिड़हर तहसील आलापुर जिला अम्बेडकरनगर की खतौनी सन् 1426 ता 1431 फसली खाता संख्या 0224, 0225, 0226, 0151 के गाटा संख्या 216, 217, 220, 229/0.8315हे0 पर प्रमोद कुमार पुत्र त्रिभुवन दत्त प्रबन्धक टी0डी0 कॉलेज ऑफ फार्मेसी कसदहाँ, प्रबन्धक त्रिभुवन दत्त निवासी ग्राम को लगान परता से मुक्त करते हुये आकृषिक घोषित/दर्ज किया जाता है। परवाना अमलदरामद जारी हो। इस आदेश की प्रमाणित एक उप निबन्धक आलापुर को भेजी जाय। वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफतर हो।

उप जिलाधिकारी न्यायालय आलापुर अम्बेडकर नगर

दिनांक–27.03.2021

(धीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव)
उप जिलाधिकारी
आलापुर अम्बेडकरनगर।

मिलान किया 10-7-2021
शब्द लगभग -400
नवाटा क0 375

Scanned with AnyScanner